कार्यालय, नगर पालिक निगम कोरबा (छ.ग.)

फा.क. / 15 / संपदा / 2013 कोरबा दिनांक ....

मेजर ध्यानचंद व्यवसायिक काम्पलेक्स हॉल / प्रथम मंजिल स्थित कमरों के आबंटन हेतु प्रीमियम / उच्चतम मासिक किराया की निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा स्पोर्ट्स काम्पलेक्स के समीप नवनिर्मित मेजर ध्यानचंद व्यवसायिक काम्पलेक्स के भूतल स्थित हॉल / प्रथम मंजिल स्थिम कमरों को व्यवसायिक उपयोग हेतु 15 वर्षीय लीज अवधि की शर्तो पर आबंटन हेतु निधारित प्रीमियम पर उच्चतम मासिक किराया का निविदा ऑफर दिनांक 25-02-2014 को सायं 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं निविदा ऑफर उसी दिन 4.00 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष निविदा खोली जावेगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित निविदा अमानत राशि निविदा तिथि से एक दिन पूर्व अर्थात् दिनांक 24-02-2014 सायं 5.30 बजे तक नगद / बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक द्वारा जमा कर निविदा में भाग ले सकते हैं। निविदा प्रपत्र कार्यालयीन दिवस व समय पर रूपये 1000 / – नगद जमा कर कार्यालयीन अवधि दिनांक 17-02-2014 से केश काउंटर से प्राप्त की जा सकती है।

क्र.	भवन काम्पलेक्स का नाम		क्षेत्रफल वर्गफूट में	निर्धारित प्रीमियम राशि	न्यूनतम मासिक किराया	अमानत राशि रू.
1	मेजर ध्यानचंद व्यवसायिक काम्पलेक्स कोरबा	01. भूतल में स्थित हाल	809.25	2500000.00	25000.00	625000.00
		02. भूतल में स्थित हॉल	880.48			
		03. प्रथम मंजिल में स्थित कमरे	5560.33			
		योग	7250.06			

टीप :– उक्त काम्पलेक्स के भूतल स्थित हॉल / प्रथम मंजिल स्थित कमरों के आबंटन की विस्तृत जानकारी / शर्ते नगर पालिक निगम कोरबा कार्यालय के संपदा शाखा से प्राप्त की जा सकती हैं।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

UPLOAD

कार्यालय, नगर पालिक निगम कोरबा (छ.ग.)

मेजर ध्यानचंद काम्पलेक्स एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय काम्पलेक्स स्थित व्यवसायिक हाल एवं कमरे की निविदा शर्ते

1. निविदा हेतु अमानत राशि रूपये 625000/— जमा कर निविदा में हिस्सा लिया जा सकता है। निविदा अमानत राशि नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट बैकर्स चेक के माध्यम से ही जमा की जा सकेगी।

2. निविदा प्रपत्र रूपये 1000/— जमा कर निगम कार्यालय से निविदा दिनांक के 01 दिवस पूर्व तक कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्राप्त किए जा सकते है।

3. भवन का संधारण एवं संचालन हेतु प्रीमियम 25.00 लाख निर्धारित हैं। उच्चतम मासिक किराया हेतु निविदा आफर प्रस्तुत करना होगा। इस पर उच्चतम निविदाकर्ता को भवन यथास्थिति संचालन एवं संधारण हेतु लीज पर दिया जावेगा।

4. उच्चतम आफरकर्ता की अमानत राशि प्रीमियम राशि में समायोजित कर ली जावेगी तथा शेष निविदाकर्ता की अमानत राशि वापस कर दी जावेगी।

5. उच्चतम निविदा आफर छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 80 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी एवं छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम एवं अचल संपत्ति अंतरण नियम के स्वीकृति के अधीन होगी।

6. छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 80 के तहत निगम अधिकारी कोई भी उच्चतम/बोली प्रस्थापना स्वीकृत करने के लिए बाध्य नही होगा।

7. उच्चतम निविदाकर्ता को शेष प्रीमियम राशि एवं 06 माह का अग्रिम किराये की राशि आबंटन स्वीकृति पर सूचना मिलने के 30 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

8. व्यवसायिक हाल एवं कमरे की लीज अवधि 15 वर्ष की होगी। लीज का नवीनिकरण संशोधित किराया व इकरारनामा पर निगम द्वारा किया जा सकेगा। अथवा लीज अवधि समाप्ति पर आबंटन निरस्त कर व्यवसायिक हाल एवं कमरे का रिक्त आधिपत्य लिया जा सकेगा।

9. व्यवसायिक हाल एवं कमरे का निधारित किराये की राशि प्रत्येक माह के 07 तारीख तक आवश्यक रूप से अग्रिम देना होगा। उपरोक्त अवधि में चूक होने से प्रतिदिवस 2/— के हिसाब से लेट फिस किराये के अतिरिक्त देय होगी।

10. प्रस्थापना किये जाने के तत्काल पश्चात, यथास्थिति प्रथम दो प्रस्थापना करने वालो, की प्रतिभूति निक्षेप की राशि छोड़कर, शेष सभी की प्रतिभूति निक्षेप की राशि वापस कर दी जावेगी।

UPLOAD

11. यदि उच्चतम बोली लगाने वाले/प्रस्थापना करने वाले, जिसकी बोली/प्रस्थापना स्वीकृत की गई है, द्वारा बोली प्रस्थापना की राशि विहित समय के भीतर जमा नही की जाती है, तब शर्त (6) में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वितीय उच्चतम बोली/प्रस्थापना स्वीकृत कर सकेगा। तथा यदि ऐसी बोली लगाने वाले/प्रस्थापना करने वाल व्यक्ति द्वारा भी सूचना मिलने पर विहित कालावधि के भीतर बोली/प्रस्थापना की राशि जमा नही की जाती है, तब ऐसे द्वितीय उच्चतम बोलीकर्ता/प्रस्थापना करने वाले की प्रतिभूति निक्षेप की राशि की अभिग्रहित कर ली जावेगी।

12. यदि शर्त (6) में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण की यह राय हो कि द्वितीय उच्चतम बोली/प्रस्थापना को स्वीकृत करने के स्थान पर पुनः घोष विकय किया जावेगा, प्रस्थापना आमंत्रित की जाये, तब यथा स्थिति द्वितीय उच्चतम बोलीकर्ता या प्रस्थापना करने वाले की प्रतिभूति निक्षेप की राशि वापस कर दी जावेगी

13. मासिक किराया दिये जाने के 03 माह की चूक होने पर निगम द्वारा एक माह की सूचना दी जाकर लीज समाप्त की जा सकेगी एवं उस स्थिति में लीज ग्रहिता को प्रीमियम की राशि वापस प्राप्त करने का अधिकार नही होगा जो कि निगम द्वारा राजसात की जा सकेगी। लीज ग्रहिता की ओर से लीज समाप्त करने की स्थिति में प्रीमियम अथवा उसका कोई भाग वापस पाने की पात्रता नही होगी। निगम द्वारा आबंटन निरस्त करने की स्थिति में रिक्त आधिपत्य लिया जा सकेगा।

14. लीज अवधि में प्रत्येक 03 वर्ष पश्चात किराया में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी तथा लीज अवधि समाप्त होने पर लीज का नवीनीकरण करने की स्थिति में निगम द्वारा तत्समय देय किराया में 50 प्रतिशत तक वृद्धि की जा सकेगी तथा शर्तो में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।

15. नगर पालिक निगम द्वारा आबंटन स्वीकृत होने की स्थिति में पूर्ण प्रीमियम राशि जमा करने के पश्चात लीज ग्रहिता को निगम से सूचना मिलने के 15 दिवस के अंदर लीज अनुबंध सम्पादन एवं पंयीयन निर्धारित राशि के स्टॉम्प पर अपने स्वंय के व्यय से कराना आवश्यक होगा।

16. व्यवसायिक हाल एवं कमरे का किराया आधिपत्य प्राप्त करने के दिनांक से देय होगा।

17. निविदा खुलने पर उच्चतम निविदाकर्ता को आफर किए गए प्रीमियम की 25 प्रतिशत राशि निगम कोष में तत्काल जमा करना होग। जिसमें जमा अमानत राशि समायोजित कर ली जावेगी।

18. सूचना दिये जाने पर उचित समयावधि में लीज ग्रहिता द्वारा लीज डीड पर निर्धारण एवं रजिस्ट्रेशन नही कराये जाने पर आबंटन निरस्त कर उपरोक्त हेतु जमा सभी राशि निगम द्वारा राजसात की जा सकेगी।

19. बिना निगम के पूर्व स्वीकृति के लीज ग्रहिता द्वारा भवन में अथवा व्यवसाय में कोई परिवर्तन नही किया जावेगा।

20. लीज ग्रहिता द्वारा आवश्यक सभी करों (नगर पालिक निगम शासन के) का भुगतान देय होने पर संबंधित विभागों को किया जावेगा, इस हेत निगम की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

21. उक्त व्यवसायिक हाल एवं कमरे को लीज ग्रहिता द्वारा किसी अन्य को किराये अथवा उप पट्टेदारी आदि पर नही दिया जावेगा।

22. नाम परिवर्तन के इच्छुक होने पर लीज ग्रहिता द्वारा निगम में रूपये 50,000/-(रूपेय पचास हजार) मात्र जमा कराकर आवेदन करना होगा, जिस पर विचार किया जाकर नामांतरण किया जा सकेगा।

23. लीज ग्रहिता द्वारा व्यवसायिक हाल एवं कमरे में अथवा उसके आसपास किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अथवा न्यूसेंस नही किया जावेगा, अन्यथ लीज निरस्त करने का निगम को अधिकार होगा।

24. व्यवसायिक हाल एवं कमरे में साज-सज्जा, जल एवं विद्युत संयोजन आदि की व्यवस्था लीज ग्रहिता द्वारा अपने स्वंय के व्यय से की जावेगी।

25. नगर पालिक निगम के प्रशासक/महापौर अथवा आयुक्त को पूर्ण अधिकार होगा कि युक्तियुक्त कारणो पर निविदा आफर निरस्त कर देवें। जिसके लिए व्यक्ति विशेष को कारण बताना आवश्यक नही होगा।

26. उपरोक्त निविदा शर्तो के कियान्वयन अथवा उनकी व्याख्या में अथवा किरायेदारी के संबंध में कोई भी विवाद होने पर प्रशासक/महापौर नगर पालिक निगम, कोरबा अथवा उसके द्वारा इस संबंध में अधिकार प्राप्त व्यक्ति को पंचा फैसला हेतु आवेदन किया जावेगा। जिसका निर्णय अंतिम व पक्षकारो को मान्य होगा।

27. उपरोक्त शर्तो के तहत व्यवसायिक हाल एवं कमरे आबंटन अथवा लीज अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को होने वाली संभावित किसी भी क्षति के लिए निगम की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

28. भवन के छत पर निगम का अधिकार रहेगा।

29. आधिपत्य के समय प्रारंभिक समस्त मरम्मत हितग्राही द्वारा किया जावेगा।

30. कोई भी निविदा आफर स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का प्रशासक/महापौर, नगर पालिक निगम, कोरबा को पूर्ण अधिकार होगा।

31. लीज डीड हेतु निगम की स्वीकृत इकरारनामा प्रारूप को इन शर्तो का भाग माना जावेगा, तथा दोनो में विरोधाभास होने पर स्वीकृत इकरारनामा प्रारूप को अंतिक माना जावेगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

स्पोर्ट्स काम्पलेक्स के समीप मेजर ध्यानचंद व्यवसायिक काम्पलेक्स स्थित निर्मित हॉल एवं कमरों का आबंटन हेतु निविदा ऑफर

आवेदन फार्म शुल्क रूपये – 1000/–
निविदा अमानत राशि रूपये 625000.00
रसीद कमांक व दिनांक ....

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
कोरबा (छ.ग.),

विषयः– नगर पालिक निगम कोरबा के नवनिर्मित मेजर ध्यानचंद व्यवसायिक काम्पलेक्स स्थित हॉल/कमरों के आबंटन हेतु निविदा ऑफर।

महोदय,

निवेदन है कि नगर पालिक निगम कोरबा की नवनिर्मित मेजर ध्यानचंद व्यवसायिक काम्पलेक्स स्थित हॉल/कमरों के आबंटन हेतु उनके सम्मुख अंकित निर्धारित प्रीमियम राशि रू. 25.00 लाख पर उच्चतम मासिक किराया की राशि में 15 वर्षीय लीज अवधि की शर्तो पर लेने हेतु सहमत हूं। निगम के आबंटन एवं अन्य शर्तो की जानकारी ली जाकर, सोच समझकर निविदा ऑफर प्रस्तुत हैं।

क्र.	काम्पलेक्स का नाम	निर्धारित प्रीमियम राशि रू.	उच्चतम मासिक किराया राशि रू.
01.	मेजर ध्यानचंद व्यवसायिक काम्पलेक्स	25.00 लाख	

मेरे द्वारा निगम बुक/रसीद क्रमांक .... दिनांक .... में निर्धारित अमानत राशि रूपये .... शब्दों में .... (निविदा अमानत) नगर पालिक निगम कोष में जमा की गई हैं।

अतः मुझे उच्चतम मासिक किराया पर काम्पलेक्स की हॉल/कमरों को आबंटित करने की कृपा करें। नगर पालिक निगम कोरबा की सभी शर्ते मुझे मान्य हैं।

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम – ....
पिता/पति का नाम ....
स्थायी पता ....
....
मोबाईल नं. ....

नोट :– एक से अधिक हॉल/कमरों की चाहने की दशा में प्रत्येक लॉज–रेस्टॉरेन्ट का अमानत राशि जमा कर निविदा फार्म पृथक–पृथक जमा करना होगा।

UPLOAD

E/Sampada.1pg
133